

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/अति. कक्षा-कक्ष/19-20 42429-37 दिनांक 21.11.19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा।

विषय : अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय विभिन्न पत्रों द्वारा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या-6 में अंकित राशि की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	प्रशा.स्वी. क्र. व दि	ग्रा.पं.	पंस.	(राशि लाख रु. में)	
					तकनीकी स्वीकृति क्र/दि	राशि
1	2		3	4	5	6
1	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लोहारिया छोटा	11000-3 28.02.2019	नवागांव	सज्जनगढ़	JTA/PS/ sajjangarh/ 26/05.03.19	5.00
2	अतिरिक्त 2 कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण राउप्रावि में ग्राम कसारवाड़ी		कसारवाड़ी	सज्जनगढ़	JTA/PS/ sajjangarh/ 27/05.03.19	10.00
3	राउमावि छापरिया में 2 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण	8111-18 14.2.2019	छापरिया	बांसवाड़ा	18/2018-19 15.2.2019	20.00
योग						35.00


उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational institutions. हेतु प्राप्त राशि रु. 1619.72 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्त-

- यदि कोई कार्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को

- उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
5. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण करवाया जावेगा।
 6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
 7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
 8. जिन कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यों हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।

भवदीय


(शिवाणी स्वर्णकार) I.A.S
आयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/अति कक्षा-कक्ष/19-20/42429-37 दिनांक 21.11.19
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational institutions. हेतु प्राप्त राशि रु. 1619.72 लाख में से राशि रु. 35.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तांतरित करे। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति सज्जनगढ/बांसवाडा जिला बांसवाडा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड पत्रावली।

//
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स :0294-2428721
ई-मेल : comm.tad @ gmail.com Website www.tad.rajasthan.gov.in